

बिहार सरकार
वाणिज्य—कर विभाग

खुशखबरी.....खुशखबरी.....खुशखबरी

**अब वाणिज्य—करदाताओं द्वारा कर भुगतान हेतु ऑन—लाईन
ई—पेमेंट की सुविधा 40 से भी अधिक बैंकों के द्वारा**

सभी निबंधित व्यसायियों को यह सूचित किया जाता है कि वाणिज्य—कर विभाग ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के सहयोग से ऐसी व्यवस्था विकसित की है जिसके अंतर्गत यदि आपका खाता किसी भी बैंक में है (40 से भी ज्यादा बैंकों में) तो आप करका भुगतान ऑनलाईन कर सकते हैं।

इस सुविधा का उपयोग करने के लिए क्रमवार प्रक्रिया निम्नवत् है :—

- प्रथमचरण : वाणिज्य—करविभाग के वेबसाईट www.biharcommercialtax.gov.in पर जाकर अपने User ID एवं Password के साथ Login कीजिये,
- द्वितीय चरण : e-Payment के icon को click कीजिये,
- तृतीय चरण : जिस अधिनियम के तहत भुगतान करना है, उसे select कीजिये,
- चतुर्थ चरण : संबंधित चालान को भरिये,
- पाँचवाचरण : सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के पेमेंटगेटवे का चुनाव कीजिये।
- छठवाँ चरण: पेमेंट गेटवे का स्क्रीन आएगा। ड्राप डाउन मेनू मेंजाकर बैंकों की सूची में सेअपने पसंद का बैंक चुनिए,
- सातवाँ चरण : चुने हुए बैंक का लॉग—इन पेज स्क्रीन पर आ जाएगा,
- आठवाँ चरण : ऑन—लाईन भुगतान से संबंधित कार्रवाई चुने हुए बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसारपुराकरें,
- नौवाँ चरण: भुगतान की प्रक्रिया पुरी करने के बाद चालान को डाउनलोड /प्रिंट कर के पावती प्राप्त कर लें।

बैंकों की सूची—

इलाहाबाद बैंक
आन्ध्रा बैंक
पविसस बैंक
बैंक ऑफ बहरीन एंड कुरैत
बैंक ऑफ बडौदा
(कॉरपोरेट और रिटेल)
बैंक ऑफ इण्डिया
बैंक ऑफ महाराष्ट्रा
बीएनपी परिवास
कैनरा बैंक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
कॉरपोरेशन बैंक
सिटी यनियन बैंक
डीसीबी बैंक
ड्यूस्टच बैंक
धनलक्ष्मी बैंक
फेडरल बैंक
आई०डी०आई०बी०आई० बैंक
आई०डी०बी०आई० बैंक
इण्डियनओवरसीज बैंक
इण्डियन बैंक
इंडसिंड बैंक
आईएनजीवैष्य बैंक
जम्मू एंड कशीर
कर्नाटका बैंक
करुड वैष्य बैंक
कोटक बैंक
लक्ष्मी विलास बैंक
(कॉरपोरेट और रिटेल)
ओरियंटल बैंकऑफकॉमर्स
पंजाब एडसिव्स बैंक
समरावविल बैंक
(कोऑपरेटिव बैंक)
साउथइण्डियन बैंक
सिंडिकेट बैंक
तमिलनाडुमेकेटाइल बैंक
यूको बैंक
यूनियन बैंक
युनाइटेड बैंक
विजया बैंक
यस बैंक

यह सुविधा वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक,
आई०डी०बी०आई०, बैंक ऑफ इण्डिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
बैंक ऑफ बडौदा, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के खाता धारकों को इन
बैंकों के इन्टरनेट बैंकिंग के द्वारा दी जा रही सुविधा के अतिरिक्त है।

**किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए टॉल—फ्री नं०
1800 3456 102 पर संपर्क किया जा सकता है।**